

मध्य प्रदेश शासन



समिति की धारा – 52 में पंजीयन प्रमाण-पत्र

क्रमांक 03/नि.क/2011

यह प्रमाणित किया जाता है कि "जागृति युवा मंच समिति" मानसिक एवं बहुविकलांगों हेतु विशेष विद्यालय पुनर्वास एवं अनुसंधान संस्थान जो पावर हाऊस कालोनी शाहनगर जिला पन्ना (म0प्र0) में कार्यरत है। निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 (क्रमांक 52 सन् 1996) के अधीन निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने हेतु दिनांक 13.4.2011 को पंजीयत की गई है।

यह पंजीयन प्रमाण-पत्र जारी करने के दिनांक से 3 वर्ष के लिए वैध होगा।

उप संचालक,
पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग,
जिला पन्ना (म0प्र0)